अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

24/225 मुरली V/S पुष्पा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	सुरेन्द्र मेहरा नवीन रजिस्टर-01	
25.02.2025	मुरली बनाम पुष्पा वगैरह (203/2024) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कथन किया कि मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई थी जो कि सारहीन हो चुकी है। अतः विचाराधीन अपील सारहीन होने से खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मूल वाद संख्या 116/2022 निर्णय दिनांक 22.01.2025 की की प्रमाणित प्रति पेश की। हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया। अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद संख्या 116/2022 दिनांक 22.01.2025 का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। चूंकि विचाराधीन अपील अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई, जो कि मूल दावें के निस्तारण हो जाने के कारण सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner